न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 250 / 11

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 रामकुमार पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी सबलपुरा तहसील व जिला सीकर राज.

अपीलांट

बनाम

1 गोपाल पुत्र हीराराम
2 भगवानी पुत्री हीराराम
3 मोहनी पुत्री हीराराम
4 घीसा पुत्र गुमाना
5 दीपा पुत्र गुमाना
6 नागर पुत्र गुमाना
7 सुरजी बेवा गुमाना
8 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सीकर

रेस्पोंडेन्ट

आदेश प्रार्थना पत्र विधिक आपत्ति एवं आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–आदेश–

उपस्थित

1. श्री भागीरथमल जाखड़ अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सोहनलाल अधिवक्ता रेस्पोडेंट

दिनांकः–

प्रस्तुत अपील में रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रभावहीन हो जाने के कारण इसी स्तर पर खारिज करने का अनुतोष चाहा है।

इसी अपील में रामनिवास पुत्र रामकुमार जाट ने आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी प्रस्तुत कर पक्षकार संयोजित करने का निवेदन किया है रेस्पोडेंट ने जवाब प्रस्तुत कर आवेदन खारिज करने का निवेदन किया है।

दोनो प्रार्थना पत्रों पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट ने अपना 1/4 हिस्सा सम्पूर्ण जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 01.02.2017 को आवेदक रामनिवास को हस्तान्तरित कर दिया है। अत न्यायाहित में आवेदक को अपीलांट के रूप में पक्षकार संयोजित किया जावें। अपने कथनों के समर्थन में आवेदक की और से आर.आर.टी. 2016 (2) पेज 1293 आर.आर.डी 2010 के पेज 611 आर.आर.डी. 2009 पेज 389 आर. आर.टी. 2014 (2) पेज 1253 डी एन जे (एस.सी) पेज 720 डीएनजे (राजस्थान) 2014 (3) पेज 978 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिया कि प्रस्तुत अपील के अपीलांट द्वारा विवादित भूमियों मे से अपने सम्पुर्ण हक हिस्से को दिनांक 01.07.2017 को अपने पुत्र रामनिवास

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

को जरिये रजिस्टर्ड उपहार पत्र उपहार में दे दिया है। अत अब अपीलांट का विवादित भूमियों में कोई हक अधिकार किसी भी रूप में शेष नही रहा है। अत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर सम्पूर्ण अपील इसी स्तर पर खारिज की जायें।

हमने प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस एवं पत्रावली का अवलोकन किया एवं माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्तों पर मनन किया। प्रस्तुत अपील में रामनिवास की और से आदेश 1 नियम 10 का आवेदन प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड दान पत्र के आधार पर स्वंय को अपीलांट के रूप में संयोजित करने का निवेदन किया है इनके द्वारा समर्थन में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत सम्पदा क्रय करने से सम्बंधित है। किसी भी न्यायिक दृष्टांत में उपहार पत्र के सन्दर्भ में कोई विवेचन नही है। प्रस्तुत प्रकरण में विषय उपहार पत्र से सम्पदा हस्तान्तरण का है ऐसी स्थिति में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आवेदक रामनिवास के कथनों का समर्थन नही करते है अत आवेदन आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. स्वीकार किये जाने योग्य नही पाया जाता है फलतः आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. का आवेदन खारिज किया जाता है।

जहां तक रेस्पोडेंट के अपील इसी स्तर पर खारिज किये जाने के आवेदन का प्रश्न है हमने इस न्यायालय में प्रार्थी रामनिवास द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड उपहार प्रलेख दिनांक 01.02.2017 का अवलोकन किया इसमें अपीलांट रामकुमार पुत्र हिराराम ने ग्राम सबलपुरा पटवार हल्का सबलपुरा तहसील धोद जिला सीकर में स्थित भूमि खसना नम्बर 406 में से उपहारकर्ता के 1/4 भाग की आराजी सम्पूर्ण उपहार स्वरूप आवेदक रामनिवास पुत्र रामकुमार को उपहार में दे दी। ऐसी स्थिति में अपीलांट का प्रस्तुत अपील में अब कोई हित निहित नही रह गया है। फलस्वरूप रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 का आवेदन स्वीकार किया जाकर अपीलांट की अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

आवेदक रजिस्टर्ड उपहार पत्र के आधार पर इस न्यायालय में अपीलांट के रूप में पक्षकार संयोजित किये जाने योग्य नही पाया गया है। यदि आवेदक चाहे तो इस सम्बंध में सक्षम न्यायालय में पृथक से नया वाद प्रस्तुत करने के लिये स्वंतत्र है।

निर्णय आज दिनांक 23.08.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

23/8/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर